

समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)

प्रशिक्षण और रोजगार/स्वरोजगार/उद्यमिता के लिए

स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना
उच्च शिक्षा विभाग

और

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (MSME)

के मध्य

'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' के तहत दो विभागों क्रमशः उच्च शिक्षा विभाग और सूक्ष्म,
लघु और मध्यम उद्यम विभाग(MSME)के मध्य यह एम.ओ.यू. दिनांक
..... को मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल में निष्पादित (हस्ताक्षरित)
किया गया है।
दोनों विभाग स्थित हैं


प्रथम पक्षकार

आयुक्त,
उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय, सतपुड़ा भवन,
पांचवीं मंजिल, भोपाल-462016

एवं

द्वितीय पक्षकार

आयुक्त,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एम.एस.एम.ई.),
उद्योग निदेशालय, चौथी मंजिल, विंध्याचल भवन भोपाल-462004



समझौते की शर्तें :

1. **वित्त पोषण का स्रोत:-** प्रथम पक्ष को वित्त विभाग म.प्र. से वित्त पोषण प्राप्त होता है।
2. **प्रस्तावना:-** उच्च शिक्षा विभाग राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को नियंत्रित और प्रशासित करता है, उच्च शिक्षा विभाग में शासकीय और अशासकीय 49 विश्वविद्यालय 1339 महाविद्यालय (529 शासकीय महाविद्यालय) हैं, तथा इन संस्थानों में लगभग 16.46 लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश में सबसे पहले उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता शिविर, औद्योगिक भ्रमण, कैरियर अवसर मेले और प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन कर विद्यार्थियों को देश और विदेश के शासकीय और गैर शासकीय संस्थानों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जाता है।
3. **उद्देश्य और एम.ओ.यू. का दायरा:-** यह एम.ओ.यू. दो शासकीय विभागों उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. (प्रथम पक्ष) एवं सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) विभाग म.प्र. (द्वितीय पक्ष) के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसका क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
 - 3.1 **उद्देश्य:-**
 - 1- जिला उद्योग कार्यालय (डी.आई.सी.) जिले के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
 - 2- उद्योग विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेले में उच्च शिक्षा विभाग के प्रशिक्षित विद्यार्थियों को शामिल कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - 3- महाविद्यालयों द्वारा आयोजित कैरियर अवसर मेले में उद्योग विभाग द्वारा कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा।
 - 4- जिले में संबंधित उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार विद्यार्थियों को इंटरशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
 - 5- डी.आई.सी. और सेडमैप कौशल विकास प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करेंगे।
 - 6- उच्च शिक्षा आयुक्त की ओर से निदेशक, स्वामी विवेकानंद योजना एवं आयुक्त एम.एस.एम.ई. विभाग की ओर से अधिकृत अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

- 7- जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र पर जिला उद्योग अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रदाता महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर होंगे।

3.2 दायरा (क्षेत्र)

- 1- मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रशिक्षण एवं नियोजन हेतु।
- 2- औद्योगिक विभाग/एम.एस.एम.ई. द्वारा उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को सहयोग और लाभ प्रदान करना।
- 3- शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच परस्पर समन्वय स्थापित कर रोजगार के अवसर पैदा करना।
- 4- विद्यार्थियों के कौशल विकास उन्नयन में योगदान देना।
- 5- स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए तैयारी के नियमों और प्रक्रियाओं का ज्ञान कराना।
- 6- उद्योगों के लिए कुशल जनशक्ति की मांग की पूर्ति कराना।
- 7- रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशिक्षण प्लेसमेंट और रोजगार मेलों का आयोजन करना।
- 8- कमजोर वर्ग और महिला सशक्तिकरण के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर देकर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

4. क्रियान्वयन व्यवस्था:-

(ए): स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, उच्च शिक्षा विभाग (प्रथम पक्ष) की भूमिका और जिम्मेदारियां-

- प्रथम पक्ष प्रशिक्षण और प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आवश्यक स्थान, कक्ष, आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर और विद्यार्थियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- कैंपस और प्लेसमेंट ड्राइव के लिए विद्यार्थियों के पंजीकरण में मदद करने के लिए सहयोगी स्टाफ उपलब्ध कराएगा।
- इंटर्नशिप और औद्योगिक दौरों तथा उद्यमिता शिविरों के लिए विद्यार्थी उपलब्ध कराएगा।

(बी) एम.एस.एम.ई., द्वितीय पक्ष भूमिका और जिम्मेदारियां:-

- प्रथम पक्ष को प्रशिक्षक उपलब्ध कराएगा।
- महाविद्यालयों में कैंपस और प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आवश्यक संसाधन और कंपनियां प्रदान करेगा।
- कंपनी का विवरण प्रदान करेगा।
- महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को उद्योग, अपने अधीनस्थ संस्थाओं में औद्योगिक भ्रमणों, इंटर्नशिप के लिए अवसर प्रदान करेगा।
- कम्पनियों के द्वारा रिक्तियों की जानकारी प्रदान करेगा।

5. **रिपोर्टिंग आवश्यकताएं और समीक्षा तंत्र:-** स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के सम्भाग समन्वयक और जिला नोडल एम.एस.एम.ई. विभाग की मदद से आयोजित सभी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। सभी महाविद्यालयों के टीपीओ स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना राज्य कार्यालय को ई-मेल तथा डैशबोर्ड पर रिपोर्ट करेंगे।

6. **नियम एवं शर्तें -**

6.1 **सेवाएं:-** दोनों पक्ष उद्देश्यों के अनुसार निर्दिष्ट सेवाओं का क्रियान्वयन करेंगे। एम.ओ.यू. से संबंधित सभी दस्तावेजों की भाषा हिंदी होगी।


6.2 **अवधि:-** यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तारीख से अगले 05 वर्षों के लिए लागू होगा, जिसे दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। अवधि के दौरान यदि कोई पक्षकार इसे समाप्त करना चाहता है तो वह एक माह की पूर्व सूचना देकर इस एमओयू को रद्द कर सकता है, इससे बाहर हो सकता है।

6.3 **भुगतान:-** प्रथम पक्ष प्रशिक्षण सहित सभी कार्यक्रमों का व्यय वहन करेगा तथा शासन के नियम अनुसार निरीक्षण और लेखा परीक्षण करायेंगे।

6.4 **विवाद- समाधान:-** एम.ओ.यू. भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के कानूनों - नियमों द्वारा शासित होगा। इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को प्रथम स्तर पर संबंधित पक्षों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव के द्वारा आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा।

पुष्टि और साक्षी:- क्रमांक 01 से 06 तक के सभी बिन्दुओं एवं उनके उप बिन्दुओं पर सहमति के साथ दोनों पक्षकारों द्वारा इस समझौते और इसकी प्रति पर ऊपर उल्लेखित तिथि और स्थान पर हस्ताक्षरित किया गया है।

प्रथम पक्ष




अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा
अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा, म.प्र. भोपाल
द्वारा हस्ताक्षरित

सील

स्थान : भोपाल

दिनांक... 17/10/2022

द्वितीय पक्ष



सचिव सह आयुक्त MSME (पी. नरहरि)
उद्योग आयुक्त
मध्य प्रदेश
द्वारा हस्ताक्षरित.....

सील

स्थान : भोपाल

दिनांक... 17/10/2022

कार्यालय निदेशक, स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन योजना
भोपाल (मध्यप्रदेश)

E-mail: hsevoga@mp.gov.in Telephone - 0755-2550064

क्रमांक /376/ विवेकानन्द / 2022

भोपाल, दिनांक 19.10.2022

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश

विषय- उच्च शिक्षा विभाग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग (एम.एस.एम.ई.) के एम.ओ.यू. के उपबंधों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु।

विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2022 को उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. एवं एम.एस.एम.ई. विभाग म.प्र. के द्वारा स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन योजना की गतिविधियों यथा कैरियर अवसर मेलों, कौशल विकास प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, औद्योगिक भ्रमण के आयोजन आदि के लिए एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है।

इस एम.ओ.यू. से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण रोजगार एवं स्वरोजगार स्थापना में सहायता मिल सकेगी। अतः एम.ओ.यू. के महत्वपूर्ण उपबंधों के अनुरूप उक्त गतिविधियों/आयोजनों को सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(
श्री उमेश कुमार सिंह)

निदेशक

स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन योजना
उच्च शिक्षा (मध्यप्रदेश)

भोपाल, दिनांक 19.10.2022

पृष्ठांकन क्रमांक /377/ विवेकानन्द / 2022

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, मंत्रालय को सूचनार्थ।

(
निदेशक

स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन योजना
उच्च शिक्षा (मध्यप्रदेश)

उच्च शिक्षा विभाग एवं एम.एस.एम.ई. विभाग एम.ओ.यू. सारांश

1 उद्देश्य:-

- जिला उद्योग कार्यालय (डी.आई.सी.) जिले के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
- उद्योग विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेले में उच्च शिक्षा विभाग के प्रशिक्षित विद्यार्थियों को शामिल कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- महाविद्यालयों द्वारा आयोजित कैरियर अवसर मेले में उद्योग विभाग द्वारा कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा।
- जिले में संबंधित उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- डी.आई.सी. और सेडमैप कौशल विकास प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करेंगे।
- उच्च शिक्षा आयुक्त की ओर से निदेशक, स्वामी विवेकानंद योजना एवं आयुक्त एम.एस.एम.ई. विभाग की ओर से अधिकृत अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्रमाण.पत्र पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रमाण.पत्र पर जिला उद्योग अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रदाता महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर होंगे।

2. दोनों पक्षों के दायित्व

(ए): स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, उच्च शिक्षा विभाग (प्रथम पक्ष)

- प्रथम पक्ष प्रशिक्षण और प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आवश्यक स्थान, कक्ष, आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर और विद्यार्थियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- कैपस और प्लेसमेंट ड्राइव के लिए विद्यार्थियों के पंजीकरण में मदद करने के लिए सहयोगी स्टाफ उपलब्ध कराएगा।
- इंटर्नशिप और औद्योगिक दौरों तथा उद्यमिता शिविरों के लिए विद्यार्थी उपलब्ध कराएगा।

(बी) एम.एस.एम.ई.

- प्रथम पक्ष को प्रशिक्षक उपलब्ध कराएगा।
- महाविद्यालयों में कैपस और प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आवश्यक संसाधन और कंपनियां प्रदान करेगा।
- कंपनी का विवरण प्रदान करेगा।
- महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को उद्योग, अपने अधीनस्थ संस्थाओं में औद्योगिक भ्रमणों, इंटर्नशिप के लिए अवसर प्रदान करेगा।
- कंपनियों के द्वारा रिक्तियों की जानकारी प्रदान करेगा।

[Handwritten Signature]
19/10/22

